



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241786
CG-DL-E-09012023-241786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]
No. 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

का.आ. 77(अ).—केंद्र सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3ए की उप-धारा (1) के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4308(अ) दिनांक 14 सितंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनटीआर जिले में "मौजूदा 2-लेन के 6-लेनिंग (i) नंदीगामा बाईपास किमी. 220.700 से किमी. 226.600 (किमी. 220.700 से किमी. 227.480 तक डिजाइन चनेज) और (ii) कांचीचेरला बाईपास किमी. 238.200 से किमी. 245.400 (किमी. 238.200 से किमी. 245.760 तक डिजाइन चनेज एनएच-65 पर एनएचडीपी चरण- IV के तहत ईपीसी मोड पर" राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के निर्माण (चौड़ीकरण/6-लेन आदि) के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के इसके इरादे की घोषणा करती है;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उप-धारा (3) के तहत दिनांक 29-09-2022 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "प्रजाशक्ति" दोनों में प्रकाशित किया गया है;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

इसलिए, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि, सभी बंधनों से मुक्त बिल्कुल केंद्र सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में "मौजूदा 2-लेन के 6-लेनिंग (i) नंदीगामा बाईपास किमी. 220.700 से किमी. 226.600 (किमी. 220.700 से किमी. 227.480 तक डिजाइन चेनेज) और (ii) कांचीचेरला बाईपास किमी. 238.200 से किमी. 245.400 (किमी. 238.200 से किमी. 245.760 तक डिजाइन चेनेज एनएच-65 पर एनएचडीपी चरण- IV के तहत ईपीसी मोड पर" के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: एनटीआर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नंदीगमा				
	गांव का नाम: नंदीगमा				
1	430/2	निजी	ड्राय	0.002	चल्ला ब्रह्मेश्वर राव (430/2बी)
2	640/1B1A	निजी	ड्राय	0.1943	1) कोंगरा अनंतय्य, 2) कोंगरा नरसिंह राव, 3) बट्टू रवि, 4) मानन विजया लक्ष्मी अंड आदर्स (640/1बी1ए2)
3	640/3A1	निजी	ड्राय	0.0769	1) वसीरेडु शिव रमा कृष्ण प्रसाद, 2) सीएच.श्री कृष्णय्य अंड आदर्स (640/3ए1बी)
4	694/1A1A	निजी	ड्राय	0.0202	कोमरगिरि राममोहन राव अंड आदर्स (694/1ए1ए2)
5	694/1B3A	निजी	ड्राय	0.0121	यज्ञ नारायण शर्मा & आदर्स (694/1बी3ए2)
6	695/3B	निजी	ड्राय	0.0162	1) कोवेलमुडी वेंकट नारायण, 2) किलारू संगमेश्वर राव

					(695/3बी1)
7	716/4A1	निजी	ड्राय	0.0688	1) मौवा शेषगिरि राव, 2) मन्नेपल्ली विनय कुमार, 3) एलेली रामबाबू, 4) मैनेडी पूर्ण चंद्र राव, 5) नल्लगोंडा रमा कृष्ण अंड आदर्स (716/4ए1ए)
8	867/3A1	निजी	ड्राय	0.0546	1) कपा भानु प्रसाद, 2) पुलिवर्ती अंजली, 3) पोंदुरी सीतैया, 4) कपा कृष्ण प्रसाद अंड आदर्स (867/3ए1बी)
9	867/6A	निजी	ड्राय	0.0729	1) मद्दली कृष्ण राव, 2) मद्दली राघव राव, 3) मद्दली श्रीनिवास राव, 4) मद्दली चिन्ना राव, 5) वसन्ता सत्य नारायण, 6) वसन्ता नागा मल्लेश्वरी अंड आदर्स (867/6ए2)
			कुल	0.518	

[फा. सं. NHA/PIU-VIJ/11084/LA/NH-65 (N&K Bypass)/2022/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 77(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.4308(E) dated 14th September, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /6-laning etc.,) maintenance, management and operations of National Highway No. 65, in the stretch for “6-laning of existing 2-lane (i) Nandigama Bypass from Km. 220.700 to Km. 226.600 (Design Chainage from Km. 220.700 to Km. 227.480) and (ii) Kanchikacherla Bypasses from Km. 238.200 to Km. 245.400 (Design Chainage from Km. 238.200 to Km. 245.760) on NH-65 under NHDP Phase-IV on EPC Mode” in the District of NTR in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Prajashakti” both dated 29-09-2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land for “6-laning of existing 2-lane (i) Nandigama Bypass from Km. 220.700 to Km. 226.600 (Design Chainage from Km. 220.700 to Km. 227.480) and (ii) Kanchikacherla Bypasses from Km. 238.200 to Km. 245.400 (Design Chainage from Km. 238.200 to Km. 245.760) on NH-65 under NHDP Phase-IV on EPC Mode” in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH			District: NTR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nandigama				
	Village: Nandigama				
1	430/2	Private	Dry	0.002	Challa Brahmeswara Rao 430/2B
2	640/1B1A	Private	Dry	0.1943	1)Kongara Ananthayya, 2)Kongara Narasimha Rao, 3)Battu Ravi, 4) Mannem Vijaya Lakshmi and others 640/1B1A2
3	640/3A1	Private	Dry	0.0769	1)Vasireddy Siva Rama Krishna Prasad, 2)Ch.Sri Krishnayya and others 640/3A1B
4	694/1A1A	Private	Dry	0.0202	Komaragiri Rammohana Rao and others 694/1A1A2
5	694/1B3A	Private	Dry	0.0121	Yagna Narayana Sharma & Others 694/1B3A2
6	695/3B	Private	Dry	0.0162	1)Kovelamudi Venkata Narayana, 2)Kilaru Sangameswara Rao 695/3B1
7	716/4A1	Private	Dry	0.0688	1)Movva Seshagiri Rao, 2)Mannepalli Vinay Kumar, 3)Ellelli Rambabu, 4)Maineedi Purna Chandra Rao, 5)Nallagonda Rama Krishna and others 716/4A1A
8	867/3A1	Private	Dry	0.0546	1)Kapa Bhanu Prasad, 2)Pulivarthi Anjali, 3)Ponduri Seethaiah, 4)Kapa Krishna Prasad and Others 867/3A1B
9	867/6A	Private	Dry	0.0729	1) Maddali Krishna Rao, 2)Maddali Raghava Rao, 3)Maddali Srinivasa Rao, 4)Maddali Chinna Rao, 5)Vasantha Sathya Narayana, 6)Vasantha Naga Malleswari and others 867/6A2
			TOTAL	0.518	

[F. No. NHAI/PIU-VIJ/11084/LA/NH-65 (N&K Bypass)/2022/3D]

RAJESH GUPTA, Director